प्रोहम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/42
मिसल नम्बर– 10 / 2023

1.शम्भूदयाल माहेश्वरी आयु 68 पुत्र श्री प्रभूदयाल माहेश्वरी जाति महाजन निवासी 1–च–12 दादाबाड़ी कोटा
2.भगवती माहेश्वरी पत्नी श्री शम्भूदयाल जाति महाजन निवासी 1–च–12 दादाबाड़ी कोटा
प्रार्थी।

बनाम

1.सौरभ माहेश्वरी आयु 46 साल पुत्र श्री शम्भूदयाल माहेश्वरी
2.शिल्पा माहेश्वरी आयु 46 साल पत्नी श्री सौरभ माहेश्वरी निवासी 1–च–12 दादाबाड़ी कोटा
अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/1/25

उपस्थितिः–
1.श्री वी0के0 राठौर प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.अरूणा पाटनी अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण पति–पत्नी हैं, तथा वरिष्ठ नागरिक हैं। प्रार्थीगण का स्वअर्जित मकान दो मंजिला वाके 1–च–12, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसे प्रार्थी कम 1 ने अपनी स्वअर्जित आय से निर्मित किया हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पुत्र व पुत्रवधू हैं, जो कि उसी मकान के प्रथम फ्लोर पर स्थित चार कमरो के फ्लेट में बतौर लाईसेन्सी के रूप में निवास करते हैं। अप्रार्थी कम 2 की माता यानि अप्रार्थी कम 1 की सास सरस्वती देवी भी विगत 10 वर्षो से अप्रार्थीगण के साथ ही प्रार्थीगण के मकान में निवास करती हैं, अप्रार्थीगण के दो संतान पुत्री ऋषिमा आयु 20 वर्ष जो कि वर्तमान में दिल्ली में अध्ययनरत हैं व पुत्र हितार्थ जो कि 5 वी कक्षा में अध्ययनरत हैं, और अप्रार्थीगण के साथ निवास करता हैं। अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी कम 1 की फर्म मैसर्स माहेश्वरी ट्रेडर्स में अप्रार्थी कम 1 के साथ व्यवसाय करता हैं, और उक्त फर्म का प्रार्थी कम 1 प्रोपराईटर हैं, और अप्रार्थी कम 1 वेतन प्राप्त करता हैं। प्रार्थीगण का अन्य पुत्र रोहित माहेश्वरी विवाहित जिसने आई.आई.टी. कर रखी हैं, तथा सी.टी.एस. कम्पनी बैंगलोर में नौकरी करता हैं, किन्तु कोविड के दौरान वर्कफोम होम होने के कारण दिनांक 26.03.2022 तक प्रार्थीगण के साथ निवास किया, और उक्त दिनांक को अप्रार्थी कम 2 के द्वारा उसके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के कारण उसके ससुराल गुवाहाटी में ही वर्कफोम होम करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का विवाह दिनांक 17.01.2000 को सम्पन्न हुआ था, अप्रार्थी कम 2 के पिता विवाह के समय जीवित नही थे, केवल माता जो कि उसके पिता की द्वितीय पत्नी हैं, और विवाह भी अप्रार्थी कम 2 की पारिवारिक व आर्थिक परिस्थिति के अनुसार किया गया था, जिसमें कोई दहेज का लेन–देन नही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुआ। अप्रार्थी कम 2 ने विवाह के पश्चात दो–तीन वर्षों में लगभग एक वर्ष तक पीहर में निवास किया, शेष अवधि में प्रार्थीगण के साथ निवास किया, और उस दौरान भी अप्रार्थी कम 2 की माता ने प्रार्थीगण के खिलाफ भडकाना, गलत ज्ञान देना, प्रारम्भ कर दिया। जिसके कारण अप्रार्थी कम 2 ने प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार किया, बोलचाल बन्द कर दी, परिवार में छोटे–छोटे सामाजिक व धार्मिक आयोजन में रिश्तेदारो के समक्ष अवमाननीय व दुर्व्यवहार प्रारम्भ कर दिया, अप्रार्थी कम 1 भी अप्रार्थी कम 2 के दबाव में उसके अनुचित व्यवहार के बाबत् कोई विरोध नही करता था, और इसी कारण अप्रार्थीगण ने पृथक लगभग ढेड–दो वर्षों तक किराये के मकान में निवास किया। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण को सम्मान नही दिया, पृथक निवास के दौरान प्रार्थीगण ने समझाकर इसी मकान में परिवार की सुरक्षा के लिये फर्स्ट फ्लोर पर पृथक निवास करने हेतु अनुज्ञा दी, और विगत 10 वर्षो से अप्रार्थी कम 2 की माता सरस्वती देवी भी अप्रार्थीगण के साथ निवास कर रही हैं। अप्रार्थी कम 2 आये दिन प्रार्थीगण से छोटी– छोटी बातो को लेकर लडाई झगडा करना, प्रार्थीगण को झूठे मूकदमें में फंसाने की धमकी देना, पौत्र व पौत्री को प्रार्थीगण के पास नही आने देना, और ना ही उनसे बोलचाल करने देना, तीज त्यौहार पर भी प्रार्थीगण के साथ नही बनाना। प्रार्थीगण के भाईयो के परिवार में भी आने–जाने से मना करना, तथा परिवार के शादी व्याह आदि कार्यक्रम में कभी जाना व कभी जाने से इन्कार करना निरन्तर इस प्रकार का कृत्य चलता रहा। प्रार्थीगण ही अप्रार्थी कम 1 को उनके जीवन उपार्जन हेतु वेतन देते हैं, तथा उक्त मकान में निवास के दौरान नल–बिजली आदि समस्त व्यय प्रार्थीगण के द्वारा वहन किया जाता हैं, अप्रार्थी कम 2 ने अप्रार्थी कम 1 को भी प्रार्थीगण के विरूद्ध भडका रखा हैं, तथा अप्रार्थी कम 2 प्रार्थीगण को धमकी देती हैं कि उसने सौरभ से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा रखे हैं, तथा यह भी धमकी देती थी कि प्रार्थीगण उक्त मकान अप्राथी कम 2 के नाम करें, नही तो प्रार्थीगण को झुठे मुकदमें में फंसा देंगी, और निरन्तर प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने हेतु प्रयासरत रही हैं। जिसके कारण प्रार्थीगण भयभीत हैं, और अप्रार्थी प्रार्थीगण को किराये के मकान में भेजने हेतु लगातार धमकी दे रहे हैं, तथा उक्त मकान पर कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थी कम 2 निरन्तर प्रार्थीगण पर यह दबाव बना रहे हैं कि उक्त मकान अप्रार्थी कम 2 के नाम करें और इसी कारण उक्त मकान का अन्य परिसर जिसमें कोचिंग छात्र किरायेदार रहते थे, उनको भी नही रहने देती, और सम्पूर्ण मकान पर कब्जा करने पर आमादा हैं। अप्रार्थीगण आपस में षड्यंत्र कर प्रार्थीगण के उक्त मकान से बेदखल कर हडपने पर आमादा हैं, जिस हेतु अप्रार्थी कम 2 की माता भी उकसाती हैं, प्रार्थीगण के मकान के आस– पास व्यवसायिक परिसर हैं, जिसके कारण आस–पास की दुकाने बन्द होने पर सुनसान हो जाता हैं, और प्रार्थीगण पूर्ण रूप से स्वंय को असुरक्षित महसूस करते हैं। दिनांक 26.03.2022 को अप्रार्थी कम 2 ने चाकू लेकर प्रार्थीगण को भयभीत किया कि उक्त मकान को खाली कर दें, जिस पर प्रार्थीगण का पुत्र रोहित व अप्रार्थी कम 1 ने बीच–बचाव किया, जिसके कारण शोरगुल हुआ, और अप्रार्थी कम 2 ने स्वंय के पति व रोहित के खिलाफ पुलिस थाना दादाबाड़ी में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिसके कारण पुलिस थाना दादाबाड़ी कोटा ने पाबन्द किया, और उक्त दिनांक के पश्चात् से ही अप्रार्थी कम 2 के भय से रोहित अपने ससुराल गुवाहाटी चला गया, और वही पर निवास कर रहा है। उक्त घटना के पष्चात अप्रार्थी कम 2 निरन्तर प्रार्थीगण को धमकी देती हैं, प्रार्थीगण ग्राउण्ड फ्लोर पर निवास करते हैं, और अप्रार्थी कम 2 बिना किसी कारण के दरवाजा खटखटाना, गाली–गलोच करना, तथा धमकी देती है कि उक्त मकान अप्रार्थी कम 2 के नाम कर दें, नही तो प्रार्थीगण के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय व अनहोनी घटना कारित कर दी। अप्रार्थी कम 1 भी अप्रार्थी कम 2 के कहने पर उसके कृत्यों के बाबत् कोई विरोध नही करता। प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक हैं, तथा अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण को पूर्ण अन्देशा है कि प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की वृद्धावसी का फायदा उठाकर कभी भी अप्रार्थीगण अप्रिय घटना घटित कर सकते है। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल कराया जाना आवश्यक है। इसलिये प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक होने के कारण कार्यवाही करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किया जावें । तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि वह प्रार्थीगण के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नही करें। अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रार्थीगण को दिलवाई जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण का पुत्र रोहित अमेरिका में नौकरी करता है, और कोविड 19 के दौरान कोटा से वर्क फ्राम होम कार्य कर रहा था, लेकिन अप्रार्थी कम 2 से प्रार्थीगण की कहासुनी हो गई, जिसको लेकर झगड़ा बढ़ गया और अप्रार्थी कम 2 को बहुत कुछ गन्दा व असम्मानीय जनक बाते कही, जिसके कारण उसे थाने में शिकायत की, और समझाईश होने पर अपनी शिकायत भी वापस ले ली। विवाह के समय कोई लेन देन नही हुआ, लेकिन बाद में मांग की जाने लगी। अप्रार्थीगण अपने माता पिता एवं सास ससुर को हमेषा सम्मान देते आ रहे है यह सही है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान में प्रथम तल पर उनके द्वारा बनाये गये मकान में निवास करते है। लेकिन अप्रार्थी कम 2 की माताजी भी पिछले 10 वर्षो से अप्रार्थी कम 2 का स्वास्थ्य ठीक नही होने के कारण उनकी मदद के लिये साथ ही निवास कर रही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की ओर से बहस में अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान 1–च–12 दादाबाड़ी कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थीगण की सेवा सुश्रुषा करें। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आदेश की पालना नही कर प्रार्थीगण को मानसिक या शारीरिक यातानाऍ दी जाती है तो प्रार्थीगण बेदखली हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु स्वतंत्र है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/1/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को